न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 10/2021

1 गिरधारी दत्तक पुत्र सुवाराम जाति मीणा निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र सुवालाल जाति ब्राहम्ण निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ दिनांक 03.02.2021 बसिलसिले प्रार्थना पत्र संख्या 29/2016 उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम गिरधारी अन्तर्गत धारा 251क रा0का0 अधिनियम अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री शिवकुमार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांक:– 14.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 29/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट जगदीश प्रसाद ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमियां खसरा 1112 लगायत 1118 कुल किता 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर वाके ग्राम खाटूश्यामजी में अवस्थित है उपरोक्त कृषि भूमियों में जाने हेतु अपीलार्थी/अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 4168/1111/1 रकबा 0.68 हैक्टेयर में से होकर 25 फिट चौड़ा होकर 40 मीटर लम्बा रास्ता चाहते है। अपीलार्थी/अप्रार्थी की भूमि के पश्चिम साईड में सटाकर खाटूश्यामजी से मण्ढ़ा जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग है जहां से खसरा नम्बर 4168/1111/2 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी /अप्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी किरण देवी के नाम कर संपरिवर्तन करवा दी उक्त खसरा नम्बर में प्लाट काटकर डामर की रोड़ मौके पर खसरा नम्बर 1111/2 की पूर्वी सीमा तक बनाई हुई है उससे आगे खसरा नम्बर 1111/1 मे से रास्ता चाहा गया है चाहे गये रास्ते का अंकन संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है चाहे गये रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपने खेत में पहुंचने हेतु अपीलार्थी/अप्रार्थी की भूमि मे से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है उक्त रास्ते के बिना रेस्पोडेंट/प्रार्थी अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से सम्पूर्णतया वंचित हो जायेगें इसलिये मेरी खातेदारी की कृषि भूमियां 1112 लगायत 1118 कुल किता 7 कुल रकबा 3.45 हैक्टेयर तन ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता जो खसरा नम्बर 4168/1111/1 रकबा 0.68 हैक्टेयर मे से होकर 25 फिट चौड़ा और 40 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाने की कृपा करें। उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी/अप्रार्थी ने विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय के समक्ष प्रारम्भिक विधिक आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1112 ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में पहुंचने हेतु जिन व्यक्तियों की भूमियां लगती है उन्हे पक्षकार नही बनाया तथा रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 1112 के पश्चिम में जो भूमियां अवस्थित है वह गैर मुमकिन आबादी एवं कृषि भूमियां जो संपरिवर्तन करवाई गई भूमि है जिनके खातेदार भी दीगर व्यक्ति है जिनमें से प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाना गैर कानूनी है परन्तु इसके बावजुद भी विचारण न्यायालय ने अपन निर्णय दिनांक 03.02.2021 पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1112 ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में पहुंचने हेतु जिन व्यक्तियों की भूमियां लगती है उन्हे पक्षकार नही बनाया तथा रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 1112 के पश्चिम में जो भूमियां अवस्थित है वह गैर मुमकिन आबादी एवं कृषि भूमियां जो संपरिवर्तन करवाई गई भूमि है जिनके खातेदार भी दीगर व्यक्ति है जिनमें से प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाना गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के अनुतोष में खसरा नम्बर 4168/1111/1 में से रास्ता चाहा गया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से खसरा नम्बर 4755/4168 में से रास्ता दिया गया है। मौका रिपोर्ट में भी पृथक खसरा नम्बर का हवाला दिया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा मूल आवेदन में भिन्न खसरा नम्बर में से रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा चाहे गये अनुतोष से अधिक का निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण नही किया है। अत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने उनके आवेदन पर आई.एल.आर. से रिपोर्ट मांगी है इस रिपोर्ट से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना, वैकल्पिक रास्ता नही होना एंव दिया गया रास्ता लघुतम होना प्रमाणित होता है विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1112 ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में पहुंचने हेतु जिन व्यक्तियों की भूमियां लगती है उन्हे पक्षकार नही बनाया तथा रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 1112 के पश्चिम में जो भूमियां अवस्थित है वह गैर मुमकिन आबादी एवं कृषि भूमियां जो संपरिवर्तन करवाई गई भूमि है जिनके खातेदार भी दीगर व्यक्ति है जिनमें से प्रस्तावित रास्ता कायम किया जाना गैर कानूनी है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के अनुतोष में खसरा नम्बर 4168/1111/1 में से रास्ता चाहा गया है जबकि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से खसरा नम्बर 4755/4168 में से रास्ता दिया गया है। मौका रिपोर्ट में भी पृथक खसरा नम्बर का हवाला दिया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा मूल आवेदन में भिन्न खसरा नम्बर में से रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा चाहे गये अनुतोष से अधिक का निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर